शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/डी. सी. ओ./रायपुर/17/2002."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## ( असाधारण )

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 212 ] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 22 अगस्त 2003—श्रावण 31, शक 1925

### वित्त विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 22 अगस्त 2003

### अधिसूचना

क्रमांक 286/ब-4/चार/2003.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-झ के खण्ड (1) के सहपठित छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2003 (क्र. 9 सन् 2003) की धारा 3 के उपबंधों के अनुसरण में, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, राज्य वित्त आयोग का गठन करते हैं, जिसमें श्री टी. एस. सिंहदेव अध्यक्ष तथा श्री पारस चोपड़ा सदस्य होंगे.

2. आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य उस तारीख से, जिसको वे क्रमशः अपने-अपने पद ग्रहण करते हैं, 31 दिसम्बर, 2004 तक पद धारण करेंगे.

3. आयोग को सौंपे जाने वाले कार्यों के संबंध में पृथक् से अधिसूचना जारी की जावेगी.

4. आयोग कण्डिका तीन में संदर्भित अधिसूचना में अंकित प्रत्येक विषय पर, 1 अप्रैल, 2005 से आरंभ होने वाली पांच वर्ष की कालावधि के लिए अपनी रिपोर्ट 31 दिसम्बर, 2004 तक उपलब्ध करायेगा. आयोग यह भी बतायेगा कि किस आधार पर उसने यह निष्कर्ष निकाले हैं.

Raipur, the 22nd August 2003

NOTIFICATION

No. 286/B-4/F/2003.—In pursuance of the provisions of clause (1) of article 243-(i) of the Constitution of India read with Section 3 of the Chhattisgarh Rajya Vitta Ayog (Amendment) Adhiniyam, 2003 (No. 9 of 2003) the Governor of Chhattisgarh hereby constitutes a State Finance Commission consisting of Shri T. S. Singh Deo as Chairman and Shri Paras Chopra as Member.

2. The Chairman and the member of the Commission shall hold office from the day on which they respectively assume office upto 31st December, 2004.

3. Notification in respect of the Terms of Reference of the Commission would be issued separately.

4. The Commission shall make available its report on each of the matters mentioned in the notification referred in para 3 above by 31-12-2004. The recommendation shall be for the period of 5 years commencing on the first day of April, 2005. The Commission shall also indicate the basis on which the findings have been arrived at.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**ए. के. विजयवर्गीय,** अपर मुख्य सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2003.